समस्त गाइडों के लिए सामान्य शर्ते - समस्त गाइडों के लिए सामान्य शर्ते निम्नलिखित है :-

१. वे समस्त व्यक्ति जो नियमित नियोजन में या किसी अंशकालिक नियोजन में है, राज्य में गाइड के रूप में प्रशिक्षण या गाइड के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण - पत्र या अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु नियोजन के अधीन किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करता है और मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर एक घोषणा निष्पादित करता है,कि गाइड के रूप में प्रमाण - पत्र या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व वह सेवा छोड़ देगा।

२. कोई स्थानीय स्तर गाइड या राज्य स्तर गाइड यदि कहीं कोई नियमित नियोजन ग्रहण करता है या किसी समय अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वह विहित प्राधिकारी को सूचना देगा और प्रमाण - पत्र या अनुज्ञप्ति और परिचय-पत्र उसे अभ्यर्पित करेगा ।

३. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त या अनुज्ञप्त समझे जाने वाले समस्त गाइड , गाइड - समनुदेशनों को सुकर बनाने के लिए । राज्य में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर संबंधित पर्यटन सूचना केन्द्रों या पर्यटन विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे ।

४. किसी स्थानीय क्षेत्र या पूरे राज्य में गाइड के रूप में अनुज्ञप्त या कार्य करने के लिए अनुज्ञप्त गाइड सीधे ही गाइड समनुदेशन प्राप्त करने के लिए विभिन्न पर्यटन सेवा प्रदाताओं जैसे होटलों / मोटलों के प्रबन्धको दूर आपरेटरों , सफारी संचालकों इत्यादि के साथ लगातार सम्पर्क में रहेंगे ।

५. इन नियमों के अधीनत प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्र प्रत्येक अधिनियम और इन नियमो तथा अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा समय - समय पर विरचित विनियमों और स्कीमों को सम्मिलित करते हुए समस्त अन्य विधियों और ऐसा करने के लिए सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य विधि के अधीन के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

६. इन नियमों के उपबन्धों के अतिरिक्त गाइड , गाइडों के व्यवसाय से संबंधित अच्छे आचरण और व्यवहार के निर्देशों का जो इन नियमों से असंगत या विरुद्ध न हो , अनुसरण करेंगे ।

७. अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का कोई अतिक्रमण , अधिनियम और इन नियमों के अर्थान्तर्गत अवधार या अनाचार समझा जायेगा और गाइड के प्रमाण पत्र या परिचय पत्र के रद्दकरण के साथ तदनुसार बरता जायेगा ।

८. पते में कोई परिवर्तन या कोई नियोजन लेने या स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने पर गाइड द्वारा ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को शीघ्रता से संसूचित किया जायेगा और इस उपबन्ध का अनुपालन अधिनियम के उपबन्धों के अर्थों के भीतर अनाचार समझा जायेगा और उसके प्रमाण - पत्र / अनुज्ञप्ति और परिचय पत्र के रद्दकरण के लिए ऐसे गाइड को दायी बनाने के साथ तदनुसार दण्डनीय होगा ।

९. गाइड , पर्यटन विभाग द्वारा उसे जारी परिचय - पत्र अपने पास रखेगा / रखेगी और पर्यटकों को अपने साथ ले जाते समय , नाम का टैग भी पहनेगा / पहनेगी ।

१०. गाइड , किसी भी तरह , पर्यटन विभाग द्वारा उसे जारी किये गये परिचय पत्र या किसी अन्य दस्तावेज को किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा / करेगी । इस शर्त का कोई अतिक्रमण प्रमाण पत्र के रद्दकरण और उसे मंजूर परिचय - पत्र के वापस लिए जाने के लिए उसे दायी बना अतिक्रमण प्रमाण - पत्र के देगा ।

११. परिचय - पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में गाइड तुरन्त संबंधित पर्यटन कार्यालय और निकटस्थ पुलिस थाने को सूचित करेगा । वह प्रथम सुचना रिपोर्ट और उस कथन के आधार पर कि परिचय- पत्र खो गया हैं, नये सिरे से दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा । गाइड परिचय पत्र की सुरक्षित अविरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

१२. गाइड पुरातत्व संस्मारक के प्रभारी अधिकारी या केन्द्र / पर्यटन विभाग , राज्य सरकार / भारत के पुरात्तव सर्वेखण अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर पर्यटन विभाग द्वारा जारी अपना परिचय पत्र या कोई अन्य दस्तावेज दिखायेगा |

१३. गाइड पर्यटकों से बख्शीश या रासा पत्रों की याचना नहीं , करेगा । उस दशा में जहां विदेशी यात्रा एजेन्ट अपनी स्वयं की इच्छा से गाइड के संदाय में इनाम सम्मलित करता है वहा गाइड अपनी विहित फीस के अतिरिक्त इनाम के लिए , हकदार होगा । गाइड स्वयं अपने लिए या उस पर निर्भर परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के शंसा पत्रों या मूल्यवान सामग्री या अन्यथा जैसे निःशुल्क विदेश यात्रा , छात्रवृत्ति या किसी धार्मिक संगठन इत्यादि के लिए , अभिदान की याचना नहीं करेगा ।

१४. अनुमोदित गाइड , रखता / रखती है व्यवसाय , जिससे वह और राष्ट्र की पहचान और सम्मान को बनाए रखने के लिए सन्य तरीके में वस्त्र धारण करेगा । गाइड

अधिमानतः सर्दी में जोधपुरी सूट और गर्मी में सफेद सफारी सूट पहनेगा । महिलाएं सलवार कमीज या साड़ी पहनेंगी ।

१५. गाइड , पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा नियत दरों पर ही विहित फीस प्रभारित करेंगे और न तो अधिक न हो कम फीस स्वीकार करेंगे । गाइड कर्तव्यकाल के दौरान पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित और अनुमोदित प्रभारों की सूची की एक प्रति सदैव अपने साथ रखेंगे ।

१६. गाइड , न तो व्यवसाय गृह , यात्रा एजेन्ट , भ्रमण एजेन्ट होटल वाले , पेइंग गेस्ट हाउस, दुकानदारों, परिवहन संचालको इत्यादि की और से किसी प्रकार के ब्यापार का पक्ष प्रचार वाले , पेइंग गेस्ट हाउस, दुकानदारों, परिवहन संचालको इत्यादि की और से किसी प्रकार के ब्यापार का पक्ष प्रचार करेगा और न हो उनसे कमीशन करेगा या किसी अन्य अनैतिक आचरण में सलग्न होगा।

१७. गाइड या तो भागीदारी के रूप में या कमीशन आधार पर किन्दी भी स्थापनों के साथ किसी अन्य व्यापार व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगा ।

१८. गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यटकों को अनुनमोदित दुकानों, स्थापनो के बजाय , पर्यटन विभाग , उद्योग विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं के रूप में अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत और मान्यता प्राप्त स्थापना / दुकानों से खरीददारी का ज्ञान हो ।

१९. गाइड राजस्थान सरकार के पर्यटन कार्यालय या अन्य एजेन्सियों जैसे यात्रा एजेन्ट / टूर आपरेटर / भ्रमण एजेन्ट / होटल वालों इत्यादि द्वारा उसे दिये गये किसी कर्त्तव्यभार को बिना किसी विधिमान्य कारण के अस्वीकार नहीं करेगा / करेगी ।

२०. गाइड , पर्यटकों और उन अधिकारियों , जिनके संपर्क में वह अपने कर्तव्यभार के दौरान आता / आती है , के प्रति अच्छा आचरण और शिष्टातापूर्ण व्यवहार बनाये रखेगा / रखेगी ।

२१. गाइड , जब गाइड का कार्य कर रहा हो , यान के चालक के रूप में कार्य नहीं करेगा ।

२२. गाइड , बुलाये जाने पर देरी से आने की दशा में निम्नलिखित शास्तियों का दायी होगा :

(क) प्रथम बार देरी से आने पर लिखित में चेतावनी ।

(ख) दूसरी बार देरी से आने पर फीस की 25 % कटौती ।

(ग) तीसरी बार देरी से आने पर एक मास के लिए निरर्हता जब यह छह मास की कालावधि के भीतर हो ।

(घ) पूरी तरह अनुपस्थिति के लिए तीन मास के लिए निरर्हता ।

टिप्पण: उपर्युक्त शास्तियां किसी ऐसे गाइड पर लागू होगी जो कर्त्तव्यभार स्वीकार कर लेने के पश्चात् पूरी तरह ड्यूटी के लिए उपस्थित न हो सिवाय ऐसे मामलों के जहा देरी से आना , अनुपस्थिति उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हो । ऐसे मामलों में यदि विहित प्राधिकारी / संबधितपर्यटन अधिकारी का गाइड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से समाधान न हो तो वह उसे जारी समस्त प्रमाण - पत्र और परिचय पत्र और नाम टैग के वापस लिए जाने की सिफारिश करने के लिए पूर्णतः सशक्त होगा / होगी । कर्तव्यभार इत्यादि के लिए आदतन विलम्ब से आने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जायेगा और इसके कारण अनुज्ञप्ति और परिचय पत्र को रद्द / वापस लिया जा सकेगा ।

२३. गाइड , स्वतन्त्र व्यक्तिक पर्यटक , समूहों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए समस्त कर्तव्यमार स्वीकार करेगा ये नियमों के अनुसार और विहित फीस पर स्वीकार किये जायेंगे ।

२४. गाइड , पर्यटन विभाग के पर्यटक स्वागत केन्द्र / पर्यटक सूचना ब्यूरो को वी.आई.पी. समूहो , स्वतन्त्र व्यक्तिक पर्यटकों के संचालन को सम्मलित करते हुए संचालित कर्तव्यमारो की संख्या इंगित करते हुए प्ररूप ' ड ' में एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा । इस विवरण को प्रस्तुत न किया जाना गंभीरता से लिया जायेगा और इसके कारण अनुज्ञप्ति / परिचय पत्र का रह / वापस लिया जा सकेगा ।

२५. किसी अनुमोदित गाइड से पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा समय - समय पर आयोजित अल्पकालीन पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने की अनिवार्य रूप में अपेक्षा की जायेगी ।

२६. गाइड से व्यवसाय में प्रवेश करते समय और उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा जारी आरोग्य प्रमाण - पत्र पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी ।

२७. गाइड व्यवसाय से एक मास से अधिक की अनुपस्थिति गाइड द्वारा लिखित में संबंधित पर्यटन अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी ।

२८. गाइड तीन सप्ताह से अधिक की कालावधि के लिए उसके विदेश दौरे की दशा में पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार को रिपोर्ट करेगा ।

२९. किसी गाइड का परिचय पत्र जो नैतिक अधमता को सम्मिलित करते हुए किसी अप या किसी अवधार के लिए , पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है , उसके विरुद्ध मामले के रहने के दौरान वापस लिया जायेगा यायालय द्वारा उसकी दोष शिद्धि की दशा में परिचय पत्र रद्द किया जायेगा ।

३०. गाइड ऐसे स्थानो , जो विधि द्वारा निषिद्ध है जो राष्ट्र की छविर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं के फोटोग्राफ लेने के लिए विरुवा विदेशी पर्यटकों को चेतावनी देने के लिए दावाधीन होगा ।

३१. गाइड का कोई अभ्यावेदन पहले संबंधित पर्यटन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । ऐसा अभ्यावेदन आयुक्त को संबोधित होगा किसी विवाद की दशा में आयुक्त का विनिश्चय अतिम होगा ।

३२. गाइड 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा और उसे जारी परिचय पत्र पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार को अभ्यर्पित करना होगा । तथापि , आयुक्त के अनुमोदन के पश्यात् विहित प्राधिकारी द्वारा गाइड के व्यक्तिशः साक्षात्कार के पश्चात् और मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा जारी आरोग्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर तीन वर्ष तक छूट मंजूर की जा सकेगी ।

३३. स्थानीय स्तर गाइड , केवल उस जिले या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ही समनुदेशन स्वीकार करेगा जिसके लिए पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाण - पत्र / परिचय पत्र मंजूर किया गया है । वह अपने परिचय पत्र के अनुसार यात्रा एजेन्टों द्वारा परस्पर बातचीत से तय संदाय / फीस पर दूर समूहों के साथ जाने के लिए हकदार होगा।

३४. यदि कोई गाइड स्वास्थ्य या देश से अनुपस्थिति इत्यादि के कारण 2 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए सक्रीय गाइड सेवा से अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने व्यवसाय छोड़ दिया है और उस दशा में उसे जारी किया गया परिचय पत्र रद्द माना जायेगा । तथापि , यदि गाइड दो वर्ष की अनुपस्थिति के पश्चात् व्यवसाय में पुनः आना चाहता है तो उसे पर्यटन विभाग , राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) में प्रशिक्षण लेना होगा ।

३५. गाइड , विद्यमान नियमों और पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , पुरातत्व और संग्रहालय विभाग , राजस्थान सरकार , वन विभाग द्वारा समय - समय पर विरचित किन्हीं अन्य नियमों या विनियमों और शर्तों का पालन करेगा जिसमें असफल रहने पर उसे जारी परिचय पत्र वापस ले लिया जायेगा ।